भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2655

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पेरम्बलुर में ग्रामीण सड़क विकास

2655. श्री अरुण नेहरू:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विशेषकर पेरम्बलुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-III (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत स्वीकृत, पूरी की गई और चालू हो चुकी सड़कों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पेरम्बलुर में दूर-दराज की बस्तियों को बाजार केंद्रों से जोड़ने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए गए कुल केंद्रीय वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा किए गए किसी स्वतंत्र गुणवत्ता निरीक्षण में इस अवधि के दौरान जिले में सड़क निर्माण के घटिया कार्य को चिह्नित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में कार्य कर रहे निजी सड़क ठेकेदारों पर सख्त दीर्घकालिक रखरखाव अनुबंध लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई III) के तहत कुल 2929 किमी सड़क लंबाई वाले 672 सड़क कार्यों और 28 पुलों को स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक पिछले वर्षों में स्वीकृत सड़क लंबाई सहित 3945 किमी लंबाई वाले 930 सड़क कार्य और 66 पुल पूरे किए जा चुके हैं। दिनांक 30.07.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमजीएसवाई III के तहत तमिलनाडु राज्य में 94 किमी लंबाई वाले 29 सड़क कार्य और 17 पुल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पेरम्बलूर संसदीय क्षेत्र में करूर, पेरम्बलूर और तिरुचिरापल्ली जिलों के भाग शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, पीएमजीएसवाई III के तहत, 73 किमी सड़क लंबाई को शामिल करने वाले कुल 19 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई

है। पिछले तीन वर्षों में, पिछले वर्षों में स्वीकृत सड़क लंबाई सहित 112 किमी लंबाई वाली सड़कों को शामिल करने वाले 29 सड़क कार्यों का निर्माण परभणी लोकसभा क्षेत्र में किया गया है। सभी स्वीकृत कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के राज्य-वार और जिला-वार विवरण तथा निर्माण के चरणों की जानकारी कार्यक्रम की वेबसाइट https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb पर प्राप्त की जा सकती है।

(ख): योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से जारी की जाती है, न कि जिला-वार। इसके अलावा, निधियां पहले से चल रहे कार्यों, परियोजना में हासिल की गई प्रगति और आवश्यक दस्तावेजों को विधिवत जमा करने के आधार पर जारी की जाती हैं। पीएमजीएसवाई के तहत निधियों को जारी करना एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से होता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य द्वारा जारी की गई निधियां और किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	जारी (केंद्रीय हिस्सा)	व्यय (राज्य हिस्से सहित)
2023-24	411.36	777.78
2024-25	638.66	741.43
2025-26	508.74	1465.19
2026-27 (28.07.2026 तक)	52.50	52.99

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान, पेरम्बलूर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटरों द्वारा कुल 5 निरीक्षण किए गए और सभी कार्यों को संतोषजनक ग्रेड दिया गया। इसलिए, इन निरीक्षणों के संबंध में कोई की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) लंबित नहीं है।

(घ): कार्यों का समय पर पूरा होना, गुणवत्ता रखरखाव और ग्रामीण सड़कों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहु-स्तरीय तंत्र के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख उपायों में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएमजीएसवाई सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) शामिल है, जिसे निर्माण पूरा होने की तिथि से पांच वर्ष तक (अर्थात दोष दायित्व अवधि - डीएलपी के तहत) पीएमजीएसवाई कार्यों के रखरखाव की निगरानी के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। ई-मार्ग अर्थात दोष दायित्व अवधि के दौरान ठेकेदार को रखरखाव भुगतान के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की शुरुआत के परिणामस्वरूप, प्रदर्शन-आधारित अनुबंध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सड़कों की गुणवत्ता के अनुरूप ऐसे भुगतान किए गए हैं। मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सभी पीएमजीएसवाई कार्य दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान प्रारंभिक पांच-वर्षीय रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अनुबंध को पूरा

करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रखरखाव निधि के बजट का प्रावधान किया जाना आवश्यक है और इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के अधीन एक अलग खाते में रखा जाता है। सड़कों का नियमित निरीक्षण द्वि-मासिक आधार पर किया जाता है और व्यय निष्पादन पर आधारित होता है। 5 वर्ष समाप्त होने पर, दोष दायित्व अवधि के उपरांत, सड़कों को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए जोनल रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाता है, जिसमें समय-समय पर नवीनीकरण और रखरखाव शामिल है।
